संख्या-1261 /2025/2352/22-2-2023-17(472)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजबहादुर पुत्र श्री बालादीन लोधी, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक 19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजबहादुर पुत्र श्री बालादीन लोधी, जो आर0/ओ0-टिकरिया, थाना-अजनर, जनपद-महोबा का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 06/07.08.2006 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी कालीचरण राजपूत की बहन लीलावती, भांजा राम किशोर, राममिलन, दमरू तथा कुमारी सुखवती सहित 05 लोगों की बन्दुक एवं तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-17/07, 22/07 में भा0द0वि0 की धारा-302, 452, 148, 147 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० महोबा के आदेश दिनांक 05.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-91/07, धारा-3 यूपी० गैगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट बांदा द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 06/07.08.2006 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी कालीचरण राजपूत की बहन लीलावती, भांजा राम किशोर, राममिलन, दमरू तथा कुमारी सुखवती सहित 05 लोगों की बन्दूक एवं तमंचा से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत बंदी राजू उर्फ राजबहादुर पुत्र श्री बालादीन लोधी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजबहादुर (बंदी संख्या-1595/2011) पुत्र श्री बालादीन लोधी, निवासी जनपद-महोबा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1261/2025/2352(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1261/2025/2352/22-2-2023-17(472)/2025

दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजबहादुर पुत्र श्री बालादीन लोधी, जो आर0/ओ0-टिकरिया, थाना-अजनर, जनपद-महोबा का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 06/07.08.2006 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी कालीचरण राजपूत की बहन लीलावती, भांजा राम किशोर, राममिलन, दमरू तथा कुमारी सुखवती सहित 05 लोगों की बन्दुक एवं तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-17/07, 22/07 में भा0द0वि0 की धारा-302, 452, 148, 147 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, महोबा के आदेश दिनांक 05.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-91/07, धारा-3 यूपी० गैगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट बांदा द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 06/07.08.2006 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी कालीचरण राजपूत की बहन लीलावती, भांजा राम किशोर, राममिलन, दमरू तथा कुमारी सुखवती सहित 05 लोगों की बन्दूक एवं तमंचा से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत बंदी राजू उर्फ राजबहादुर पुत्र श्री बालादीन लोधी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।